हरपाल सिंह बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

र.न.र.

हेमंत गुप्ता और मोहिन्दर पाल, न्यायाधीश के सामने।

मेहर सिंह,—याचिकाकर्ता बनाम

पंजाब नेशनल बैंक और अन्य, —प्रतिवादी

स.व.प. संख्या **1444** का **2005 24** जनवरी, **2008**

भारतीय संविधान, ***1950***—अनुच्छेद ***226***—पंजाब नेशनल बैंक ***(***कर्मचारियों का***)*** पेंशन विनियम, ***1995***—याचिकाकर्ता बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकतम आयु प्राप्त कर ली। पेंशन योजना—विकल्प आमंत्रित किए गए—बैंक याचिकाकर्ता को इस आधार पर पेंशन देने से इंकार कर रहा है कि निर्धारित समय के भीतर विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया था। बैंक याचिकाकर्ता का विकल्प स्वीकार करता है और उसकी प्रोविडेंट फंड राशि को पेंशन फंड में स्थानांतरित करता है। याचिकाकर्ता के विकल्प पर अमल करते हुए प्रतिवादी बैंक को पेंशन का लाभ देने से इंकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पेटीशन स्वीकृत की जाती है, बैंक को उसके विकल्प के अनुसार पेटीशनरी लाभ जारी करने की दिशा में निर्देश दिया जाता है।

यह निष्कर्ष पाया गया कि प्रतिवादी-बैंक ने याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया विकल्प स्वीकार किया और, वास्तव में, उसकी प्रोविडेंट फंड राशि को पेंशन फंड ट्रस्ट खाता में 1996 से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक स्थानांतरित किया। याचिकाकर्ता को वह व्यक्ति माना जा रहा था जिसने पेंशन के लिए विकल्प चुना। इसलिए, याचिकाकर्ता के विकल्प पर अमल करते हुए, प्रतिवादी बैंक को 27 जनवरी, 1996 को या उससे पहले विकल्प प्राप्त नहीं हुआ ऐसा तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रतिवादी-बैंक ने अपने व्यवहार और आचरण से विकल्प प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर दिया। प्रतिवादी-बैंक को यह कहने का अधिकार नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अधिकतम आयु प्राप्त करने के बाद समय में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। छह साल से अधिक समय तक याचिकाकर्ता को पेंशन के लिए विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया था। प्रतिवादी बैंक ने याचिकाकर्ता के योगदानकारी फंड में कोई योगदान नहीं दिया। इस तथ्य को देखते हुए, हम इस राय में हैं कि प्रतिवादी बैंक की क्रियावली, जिसमें कहा गया है कि विकल्प 27 जनवरी, 1996 को या

उससे पहले प्राप्त नहीं हुआ था, पूरी तरह से अस्थायी है और इसलिए उसे नकार दिया जाता है।

(पैरा 9)

नवीन दर्याल, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

अशोक शर्मा, वकील, प्रतिवादियों के लिए।

हेमंत गुप्ता, ज.

(1) याचिकाकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारियों के) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुसार पेंशन के लिए अपना दावा 17 मै 2004 को अन्नेक्स्यूर पी-17 द्वारा खारिज करने के लिए प्रमाणपत्र की मांग की है।

(2) याचिकाकर्ता ने 6 दिसंबर, 1979 को प्रतिवादी बैंक में पानीपत के प्रतिवादी बैंक की शाखा में क्लर्क के रूप में सम्मिलित किया। याचिकाकर्ता को समय-समय पर प्रोत्साहित किया गया और विशेष सहायक के रूप में काम करते हुए वह अधिकतम आयु प्राप्त कर ली।

(3) प्रतिवादी बैंक ने 1994 में पेंशन योजना शुरू की। कुछ संशोधन और संशोधन के बाद, योजना 1995 में पुनः प्रस्तुत की गई। इस योजना का नाम है पीएनबी (कर्मचारियों का) पेंशन विनियमन, 1995। योजना को प्रतिवादी बैंक की सभी शाखाओं को 15 नवंबर, 1995 की तारीख को परिपत्रित किया गया। याचिकाकर्ता ने इस योजना के लिए 30 जनवरी, 1996 को विकल्प पत्र दिया हालांकि योजना में विकल्प की अंतिम तारीख 27 जनवरी, 1996 थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह पहले परिपत्र की तारीख 27 जून, 1994 के प्रतिसाद में पेंशन के लिए विकल्प चुना है लेकिन ऐसा लगता है कि कहा गया आवेदन प्रतिवादी बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं भेजा गया था।

(4) प्रार्थी का दावा इस आधार पर त्याग दिया गया है कि उसका पेंशन विधियों के अनुसार नियन्त्रित होने का विकल्प आखिरी तारीख के बाद प्राप्त हुआ है, अर्थात्, 27 जनवरी, 1996, को या उससे पहले। इसलिए, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया विकल्प पेंशन के लिए मान्य विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता है, और इसके परिणामस्वरूप पेंशन के लिए उसका दावा त्याग दिया गया है। यह भी पाया गया कि प्रतिस्पर्धी बैंक के रिकॉर्ड में दिखाया नहीं गया कि प्रार्थी ने 27 जून, 1994 के पहले घोषणा के प्रतिस्पर्धी चक्र के प्रति अपने विकल्प का प्रयोग किया था।

(5) प्रार्थी के वकील ने जोरदार रूप से दावा किया है कि विकल्प 15 नवम्बर, 1995 की घोषणा की तारीख से 120 दिन के भीतर प्रयोग किया गया था। किसी भी स्थिति में, प्रतिस्पर्धी ने उस वक्त का विकल्प मान लिया है, जिसका प्रतिस्पर्धी के प्रोविडेंट फंड खाता नंबर 036392 के लिए 1996 से 2002 तक लागू हो रहा है, जिसे आलेख P-1 से P-6 के रूप में संलग्न किया गया है, पेंशन विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह भी दिखाया गया है कि प्रतिस्पर्धी बैंक की पेंशन विकल्पकर्ताओं के योगदान को पेंशन फंड ट्रस्ट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो 25 नवम्बर, 1997 के लेजर खाते से स्पष्ट है। इस तरह से, इस आलेख के तहत वित्तीय वर्ष 1996 से 2002 तक, पेंशन विकल्प को प्रस्तुत किया गया है, तो इसका दावा किया जाता है कि प्रतिस्पर्धी बैंक ने पेंशन विधियों के तहत पेंशन के रूप में सही रूप से विकल्प चुना है।

(6) प्रार्थी का दावा है कि उसके 28 फरवरी, 2003 को उत्तराधिकार की आयु प्राप्त होने के बाद, उसे या तो पेंशन या पेंशन के संवित्ती मूल्य की प्राप्ति नहीं हुई है, - आदेश विरोधी के परिप्रेक्ष्य में जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिनिधित्व का निर्णय दिया गया था।

(7) उस स्थिति को खंडन करते हुए, यह दिखाया गया कि संकेत में दिए गए विपक्ष के विचार में अंतिम तिथि 27 जनवरी, 1996 के रूप में निर्दिष्ट की गई थी। प्रार्थी ने उस समय के अंदर विकल्प का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए, उसकी पेंशन विश्वास की मांग नहीं की जा सकती है, उसके पेंशन विश्वास खाते के बैंक के योगदान के स्थानांतरण या उसे पेंशन विकल्पकर्ता के रूप में दर्शाने से, प्रार्थी को पेंशन की मांग नहीं कर सकती है। इसलिए, लिखित योगदान में स्वीकृत होता है कि प्रार्थी का प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन यह दावा किया गया कि इसे उसके पेंशन विकल्प की तारीख की सत्यापन किये बिना किया गया था। यह दावा किया गया है कि सूचना दी गई

तारीख, जिसे आधिकारिक गजट में पेंशन विधियों की सूचना दी गई थी, अर्थात् 29 सितंबर, 1995, के प्रकाशन की तारीख से 120 दिनों की अवधि को उसकी दिनांक से लेना होगा और सर्कुलर के जारी होने की तारीख से नहीं।

(8) हमें यह परीक्षण करने की जरूरत नहीं है कि 120 दिन का समय जो विकल्प के अभ्यास के लिए दिया गया है, क्या वह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख, अर्थात 29 सितंबर, 1995 से शुरू होना चाहिए या जब प्रतिस्पर्धी बैंक ने पहली बार परिपत्र जारी किया। वर्तमान मामले में, प्रतिस्पर्धी बैंक ने याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया विकल्प स्वीकार किया है और वास्तव में उसके भविष्य निधि राशि को वर्ष 1996 से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक पेंशन फंड ट्रस्ट खाता में स्थानांतरित किया। याचिकाकर्ता को पेंशन के लिए चुने जाने वाले में दर्शाया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता के विकल्प पर अमल करते हुए, प्रतिस्पर्धी बैंक को विकल्प को 27 जनवरी, 1996 से पहले प्राप्त नहीं किया जाने के आधार पर पेंशन का लाभ देने से इनकार करने की अनुमति नहीं है। प्रतिस्पर्धी बैंक ने अपने आचरण और आचरण से विकल्प प्रस्तुत करने में हुई किसी भी देरी को माफ किया है। प्रतिस्पर्धी बैंक को यह कहना उचित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद समय में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया था। छः साल से अधिक समय तक याचिकाकर्ता को पेंशन के लिए चुने जाने वाले में दर्शाया गया था। प्रतिस्पर्धी बैंक का याचिकाकर्ता के योगदानात्मक भविष्य निधि में कोई योगदान नहीं था। इस तथ्य को देखते हुए हम इस राय में हैं कि प्रतिस्पर्धी बैंक द्वारा विकल्प को 27 जनवरी, 1996 से पहले प्राप्त नहीं किया जाने के आधार पर पेंशन देने से इनकार करने का कार्य पूरी तरह से अस्थायी है और इसलिए उसे नकार दिया जाता है।

(9) उपरोक्त को देखते हुए, हम वर्तमान याचिका को स्वीकार करते हैं और प्रतिस्पर्धी बैंक को आज से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता के विकल्प के अनुसार पेंशन संबंधित लाभ प्रदान करने का निर्देश देते हैं। हालांकि, अगर पेंशन संबंधित लाभ उक्त समयावधि में याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता को उसकी वितरण तक पेंशन संबंधित लाभ उसे देने की तारीख से 9% प्रति वर्ष ब्याज का अधिकार होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा